A16

संख्या–93 / VI-2 / 2014–4(7)2009

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2

देहरादून दिनांक : 24 फरवरी, 2014

विषय जनपद हरिद्वार में एससीएसपी योजना के अन्तर्गत आवासीय बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1045 / एससीएसपी / 2010–2011 / दे0दून दिनांक–30 जनवरी, 2014 तथा शासनादेश संख्या–73 / VI-2 / 2014–4(7)2009 दिनांक 22 मार्च, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत आवासीय बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु संशोधित विस्तृत आगणन ₹ 184.89 लाख के सापेक्ष कुल ₹179.40 लाख (सिविल निर्माण कार्यो हेतु ₹174.32 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹5.08 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹1.00 करोड़ (₹ एक करोड़) मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475 / XXVII(7) / 2008 दिनांक–15.12.2008, शासनादेश संख्या–414 / XXVII(7) / 2007, दिनांक–23.10.2008 एवं शासनादेश संख्या–594 / XXVII(7) / 2010 दिनांक–09.06.2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जिनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापित न किया जाय।

5. कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

7. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप में उत्तरदायी होंगे।

8. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

10. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

11– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत 4202–शिक्षा खेलकूद कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवा सेवायें–102–खेलकूद स्टेडियम–03–इण्डोर हाल व हास्टल का निर्माण मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–93/VI-2/2014–4 (7) 2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश, जनपद हरिद्वार।
7. जिला कीड़ा अधिकारी हरिद्वार।
8. एन0आई0सी0 देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उपसचिव।